उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-182/2018/3140/92-2-2018-02टी0ए0सी0(जांच)/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 14 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2016-17 मे चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम चन्दपुर गोविन्दपुर ब्लाक-शिवगढ़ जामतली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 26.05.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 53,673.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-113/2017/830/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 द्वारा श्री पी0के0 मिश्रा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1606/92-2-2018-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 19-09-2017 द्वारा श्री पी0के0 मिश्रा के विरूद्ध अनुमोदित अरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 मिश्रा को दिनांक 28-09-2017 को तामील कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। तद्क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 28-10-2017 को बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया।

3- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 31.01.2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 मिश्रा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रमाणित नहीं पाया गया, किन्तु पर्यवेक्षणीय दायित्व में लापरवाही बरतने हेतु आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित अनुपूरक आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या/विवेचना मे प्रमाणित नहीं पाया। पर्यवेक्षणीय दायित्व में लापरवाही बरतने हेतु आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-260/92-2-2018-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री पी0के0 मिश्रा को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 17.04.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। अत: अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को पर्यवेक्षणीय दायित्व में लापरवाही बरतने हेतु उन्हें "परिनिन्दा" का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-113/2017/830/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-182/2018/3140(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री पी0के0 मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।